


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वाद पत्र संख्या 17 / 2022 GCMS NO. 2022/54 उनवानी उमराव आदि बनाम अन्नू आदि अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत खाता विभाजन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.07.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। न्यायालय समय तक रुक-रुक कर आवाज दिलवाई गई। बावजूद इसके अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। वादीगण स्वयं भी हाजिर नहीं आये तथा न ही इनकी की ओर से अन्य कोई हाजिर आया। अतः वादीगण का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 3 के प्रावधानों के तहत अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बुहाना (झुंझुनू)</p>	

